राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारुपण) विभाग

क्रमांकः प. 2(35)विधि/2/2014 जयपुर, दिनांकः 7 अक्टूबर, 2014

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर। राजस्थान राजपत्र भाग 4 (क) के विशेषांक में दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को निश्चित रूप से प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। अधिनियम की 100 प्रतियां अतिरिक्त प्रकाशित करें, जिसमें से 50 प्रतियां इस विभाग को भेज दें, 30 प्रतियां विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय को सीधे ही भेज दें और शेष प्रतियां विक्रय के लिए स्टॉक में रखें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
4. विधि संहिताकरण विभाग।

7/x/14

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2014
(2014 का अधिनियम संख्या 17) से संबंधित अधिसूचना।

क्रमांकः प. 2(35)विधि/2/2014 जयपुर, दिनांकः 7 अक्टूबर, 2014

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 7, 2014

संख्या प. 2 (35) विधि/2/2014.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2014
(2014 का अधिनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुई)

-

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक। — अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2
राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 में संशोधन

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 45 का संशोधन.- राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 45 की उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क की उप-धारा (5क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोजनों के लिए, खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को तीस वर्ष तक की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को दस वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।"।

अध्याय 3

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में, विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थात्:-

"(5क) इस धारा में अन्तर्विष्ट अन्य किसी उपबन्ध के होते हुए भी, कृषि भूमि का उपयोग, ऐसे गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, अनुज्ञा के बिना, किया जा सकेगा।"।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 7, 2014

No. F. 2 (35) Vidhi/2/2014.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Bhoomi Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (2014 Ka Adhiniyam Sankhyank 17) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 2014

(Act No. 17 of 2014)

(Received the assent of the Governor on the 7th day of October, 2014)

An

Act

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Land Laws (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER II

Amendment in the Rajasthan Tenancy Act, 1955

2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 3 of 1955.- In sub-section (1) of section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), after the existing proviso, the following new proviso shall be added, namely:-

> "Provided further that for the purposes prescribed by the State Government under sub-section (5A) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), a holder of Khudkast or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term upto thiry years and may extent such lease or sub-lease for a further period of ten years.".

CHAPTER III

Amendment in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

3. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), after the existing sub-section (5) and before the existing sub-section (6), the following new sub-section shall be inserted, namely :-

"(5A) Notwithstanding anything contained in any other provision of this section, the agricultural land may be used without permission for such non-agricultural purposes as may be prescribed by the State Government.".

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Govern